

9. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 19300 दिनांक 13.10.2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

आदेश से,
शैलेश कुमार, उप सचिव-1, (प्रबंधन)।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अनुलग्नक-1

अधिसूचना

30 जुलाई 2024

बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024

सं० विज्ञा०(04)01-03/2023-218/सू०ज०स०वि०—1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।—(1) यह नियमावली बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 के नियम-1(i) का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-1(i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“1 (i) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।”

3. बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 के नियम-2.5(क) का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-2.5(क) के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा :-

“परन्तु डी०ए०वी०पी० अंतर्गत सूचीबद्ध वेबसाइट पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनुपम कुमार, सचिव।

The 30th July 2024

Bihar Web Media (Amendment) Rules, 2024

No. Advt (04)01-03/2023-218/IPRD—1. Short title and commencement –

(1) These rules may be called Bihar Web Media (Amendment) rules, 2024

(2) These rules shall come into force from the date of issue of the notification.

2. Amendment of Rule 1 (i) of Bihar Web Media Rules, 2021- The Rule 1 (i) of Bihar Web Media rules, 2021 will be replaced as follows:-

“1 (i) - These rules shall come into force from the date of issue of the notification”.

3. Amendment of Rule 2.5 (a) Bihar Web Media rules, 2021- following words shall be added at the end of rule 2.5(a) of the said Rules:-

“but this provision will not be applicable over websites empanelled with DAVP”.

By order of the Governor of Bihar,
Anupam Kumar, Secretary.